3. अध्याय
प्रदत्त विश्लेषणएवं निष्कर्ष

3.1-परिचय

पिछले अध्यायों में शोध के परिचय, शीर्षक, शोध के उद्देश्य, शोध प्रश्न , शोध विधि, साहित्य पुनरावलोकन एवं शोध में किए गए पुनरावलोकन साहित्य को शामिल किया गया हैl इस अध्याय में शोध से संबंधित प्रदत्त विश्लेषण , शोध प्रश्नों के उत्तरों को शामिल किया गया हैl

डाटा एनालिसिस डेटा से जानकारी निकालने की प्रक्रिया है।

इसमें डाटा सेट स्थापित करने, प्रोसेसिंग के लिए डेटा तैयार करने, मॉडलों को लागू करने, प्रमुख निष्कर्षों की पहचान करने और रिपोर्ट बनाने सहित कई चरणों को शामिल किया गया है।

डाटा एनालिसिस का लक्ष्य एक्शनएब्ल इनसाइट्स को ढूंढना है जो निर्णय लेने को सूचित कर सकता है। डाटा विश्लेषण में डाटा माइनिंग, डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव एनालिसिस, सांख्यिकीय एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस और बड़े डाटा एनालिसिस शामिल हो सकते हैं।

3.2-विश्लेषण

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व की 15% आबादी किसी ना किसी रूप में विकलांगता से पीड़ित हैl वही भारत की मात्र 2.21% आबादी ही विकलांगता से पीड़ित हैl आंकड़ों की यह विसंगति विकलांगता के लिए तय मानकों में विभिन्नता के कारण हैंl

सामान्य अर्थों में विकलांगता ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता हैl तकनीकी दृष्टि से विकलांग एवं विकलांगता व्यापक संदर्भ वाले शब्द हैं जिनकी एक से अधिक परिवर्तनशील परिभाषाएं हैंl भारत में ऐसे व्यक्ति को विकलांग माना गया है जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% से अधिक विकलांगता का शिकार होl

3.2.1-भारत में विकलांगता की श्रेणियां:

1981 की जनगणना में तीन तरह की, 2001 में 5 तरह की, 2011 में 8 तरह की निर्योग्यता को विकलांगता का आधार माना गयाl दिव्यांग जनों के अधिकार(संशोधन) विधेयक 2016 में दिव्यांग श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया हैl इसके अतिरिक्त एसिड अटैक से पीड़ितों को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगता की एक श्रेणी में रखने का आदेश दिया हैl विकलांगता श्रेणी हेतु निर्योग्यताओ की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य" विकलांग जनों के लिए राष्ट्रीय नीति एवं विकलांग जन अधिनियम 1995" के मध्य सामंजस्य बढ़ाना थाl यहां यह ध्यातत्य है" निशुल्क व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014" मैं दिव्यांगों की श्रेणियां 7 ही थीl

3.2.2-पुनर्वास एवं आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु प्रयास:

विकलांग जनों के सामाजिक पुनर्वास हेतु उनके आर्थिक पुनर्वास की आवश्यकता प्रमुख हैl विकलांगों के चिकित्सकीय एवं शैक्षिक पुनर्वास उनके आर्थिक पुनर्वास का माध्यम है और उनके सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक हैl

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 नि:शक्त जनों को लोक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता हैl जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर यू. एन. कन्वेंशन का अनुच्छेद 9 राष्ट्रीय सरकारों को सूचना, परिवहन, भौतिक वातावरण, संचार प्रौद्योगिकी एवं विभिन्न सेवाओं तक विकलांग व्यक्तियों की पहुंच सुनिश्चित करने का दायित्व देना हैl इसी क्रम में भारत सरकार का सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय का

उद्देश्य भी एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पिछड़े एवं कमजोर तबके के साथ-साथ विकलांग जनों को एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्धि जीवन सुलभ कराया जा सकेl जिसके लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:-

1- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987

2- भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992

3- विकलांग जन(समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995

4-ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक बीमारी और बहु विकलांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999

3..2.2.1-विकलांग जनों की पुनर्वास उपायों को मूलत: 3 वर्गों में बांटा जा सकता है:-

1-पहला आरंभिक पहचान, परामर्श, चिकित्सकीय मदद तथा उपकरण आधारित शारीरिक पुनर्वासl

2-दूसरा व्यवसायिक शिक्षा समेत शैक्षिक पुनर्वासl

3-तीसरा समाज में गरिमा में जीवन जीने के लिए आर्थिक पुनर्वासl

जिसके लिए सरकार विकलांग जनों को स्तरीय, टिकाऊ तथा वैज्ञानिक तरीकों से निर्मित आधुनिक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद के लिए सहायता भी दी हैl विकलांग जन अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 की तरह विकलांग बच्चों को वर्ष की उम्र तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया हैl

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE नई दिल्ली द्वारा मुंबई 2020 के पत्र द्वारा सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देशित किया कि RPWD Act 2016

प्रावधानों को पूरी तरह लागू किया जाए और निम्न 10 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगों तक सार्वभौमिक पहुंच सुलभ कराया:-

1-सुगम्य मार्ग	2-सुगम्य पार्किंग स्थल
3-सुगम्य भवन प्रवेश	4-सुगम्य गलियारे
5-सुगम्य रिसेप्शन	6-सुगम्य लिफ्ट
7-सुगम्य शौचालय	8-सुगम्य सीढ़ियां
9- सुगम्य पेय जल	10- सुगम्य मार्ग सूचक बोर्ड

विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक देशव्यापी अभियान " सुगम्य भारत अभियान" चलाया गया है जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर की गई है।

" सुगम्य भारत अभियान" सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है।

सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य ऐसी सभी बुनियादी सुविधाओं की सामाजिक बाधाओं और दुर्गम प्रारूप पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाना है जो दैनिक जीवन में जानकारी प्राप्त करने एवं उपयोग करने के रास्ते में बाधा है।

3.2.3- सुगम्य भारत अभियान के उद्देश्य:-

1) सुगम्य सरकारी इमारतों का अनुपात बढ़ाना:-

एक सुगम्य सरकारी इमारत वह इमारत है जिसमें विकलांग व्यक्तियों को प्रवेश करने और उनकी सभी सुविधाओं का योग करने में कोई बाधा नहीं हो।

सुगम्यता के मानक यथा आई एस ओ स्थानीय संदर्भ लेते हुए जहां तक संभव हो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए। निर्माण पर्यावरण के संबंध में आई एस ओ-21542: 2011, भवन निर्माण- पर्यावरण निर्मित पहुंच प्रयोज्यता, निर्माण, संयोजन, उपकरणों और फिटिंग के विषय में आवश्यकता और सिफारिशों की रूपरेखा बनाती है।

2) सुगम्य रेलवे स्टेशनों का अनुपात बढ़ाना:-

एक रेलवे स्टेशन सुगम्य है यदि एक विकलांग व्यक्ति को इस में प्रवेश करने, सभी सुविधाओं का उपयोग करने, सवार होने और उतरने में कोई बाधा नहीं हो।

3) सुगम्य हवाई अड्डा का अनुपात बढ़ाना:-

एक हवाई अड्डा सुगम्य है जहां एक विकलांग व्यक्ति को प्रवेश करने, सभी सुविधाओं का उपयोग करने, हवाई जहाज में सवार होने एवं उतरने में किसी प्रकार की बाधा ना हो।

4) सुगम्य सार्वजनिक परिवहन का अनुपात बढ़ाना:-

सार्वजनिक परिवहन सुगम्य है यदि 1 विकलांग व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक और निजी परिवहन की बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए समान अवसर मिलता है।

संशोधित राष्ट्रीय सरकारी परिवहन नीति(NUTP-2014) के सभी योजना और कार्यान्वयन के उपायों में सार्वजनिक सुगम्यता भी शामिल है। भारतीय सड़क कांग्रेश कोड

103: 2012 चलने वालों की सुविधाओं के लिए दिशा निर्देशों, समावेशी सड़कों और सड़क डिजाइन मानकों को प्रदान करता हैl

5) सुगम्य उपयोगी सार्वजनिक दस्तावेजों और साइटों का अनुपात बढ़ाना जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानकों को पूरा करें:-

दैनिक जीवन में जानकारी का उपयोग करने के लिए सार्वजनिक दस्तावेजों को सुगम्य प्रारूप में उपलब्ध होना चाहिएl सार्वजनिक दस्तावेजों से तात्पर्य राष्ट्रीय सरकार के द्वारा जारी किए गए सभी दस्तावेजों साथ- ही -साथ सभी उप राष्ट्रीय दस्तावेजों से हैl इसमें कानूनों, नियमों, रिपोर्ट, प्रपत्र और सूचना के दस्तावेज आदि सभी प्रकाशन शामिल हैl

अभिगम्यता के मानक यह सुनिश्चित करेंगे कि एक निर्दिष्ट वर्ष से आगे प्रकाशित सभी सार्वजनिक दस्तावेज एवं सभी मौजूदा वेबसाइट मानकीकरण के अंतरराष्ट्रीय संगठन(आई एस ओ) आई ई सी 40500: 2012, सूचना प्रौद्योगिकी W3C वेब सामग्री अभीगम्यता दिशा निर्देश (WCAG) 2.0 के अनुकूल रूपांतरण एवं मानकों का पालन करते हैंl

6) सांकेतिक भाषा के व्याख्याताओं के समूह का संवर्धन:-

सांकेतिक भाषा का व्याख्याता वह व्यक्ति है जो आधिकारिक सांकेतिक भाषा के पेशेवर मानकों को पूरा करता हैl

सार्वजनिक टेलीविजन समाचार के कार्यक्रम जो सहमत हुए मानकों के अनुरूप दैनिक अनुशीर्षको और संकेत भाषा मैं व्याख्या करते हैंl सार्वजनिक टेलीविजन से तात्पर्य ऐसे कार्यक्रमों से है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित, प्रस्तुत या आर्थिक सहायता प्राप्त हैंl

3.2.4-सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्य:-

सुगम्य भारत अभियान के एक निश्चित समय सीमा के साथ महत्वकांक्षी लक्ष्य है

1) सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुगम्यता की जांच करना एवं उन्हें पूर्ण सुगम्य इमारतों में बदलना।
   - ❖ 26 शहरों में कम से कम 50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुगम्यता जांच करना एवं जुलाई 2016 तक उन्हें पूर्ण सुगम्य इमारतों में बदलना।
   - ❖ 24 शहरों में कम से कम 25 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुगम्यता जांच करना एवं जुलाई 2016 तक उन्हें पूर्ण सुगम्य इमारतों में बदलना।
   - ❖ राष्ट्रीय राजधानी एवं सभी राज्य की राजधानियों के 50% सरकारी इमारतों को जुलाई 2018 तक पूर्ण सुगम्य इमारतों में बदलना।
   - ❖ सभी राज्यों के 10 महत्वपूर्ण शहरों/ नगरों के 50% सरकारी इमारतों किसी सुगम्यता जांच करना एवं जुलाई 2019 तक उन्हें पूर्ण सुगम्य इमारतों में बदलना।
2) सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और सरकार के स्वामित्व वाले परिवहन वाहको की सुगम्यता जांच करना एवं उन्हें पूर्ण सुगम्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक वाहको मैं बदलना।
   - ❖ सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की सुगम्यता की जांच करना एवं जुलाई 2016 तक उन्हें पूर्ण सुगम्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में बदलना।
   - ❖ सभी घरेलू हवाई अड्डा की सुगम्यता की जांच करना एवं उन्हें मार्च 2018 तक पूर्ण सुगम्य हवाई अड्डे में बदलना।
   - ❖ यह सुनिश्चित करना कि जुलाई 2016 तक देश के सभी A1,A एवं B श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों को पूर्ण रूप से सुगम्य रेलवे स्टेशनों में परिवर्तित किया जाए।

- ❖ यह निश्चित करना की मार्च 2018 तक देश के 50% रेलवे स्टेशन पूर्ण रूप से सुगम्य रेलवे स्टेशनों में परिवर्तित हो जाएं।
- ❖ यह निश्चित करना कि मार्च 2018 तक सरकारी स्वामित्व वाले 25% सार्वजनिक परिवहन वाहक पूर्ण रूप से सुगम्य वाहको मैं परिवर्तित हो जाएं।

3) सरकारी वेबसाइट एवं सभी सार्वजनिक दस्तावेजों(केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों) के 50% की सुगम्यता जांच करना एवं मार्च 2017 तक उन्हें पूर्ण रूप से सुगम्य वेबसाइटों एवं दस्तावेजों में परिवर्तित करना।

- ❖ सरकारी वेबसाइटों(केंद्र एवं राज्य दोनों) के 50% की सुगम्यता जांच करना एवं मार्च 2017 तक उन्हें पूर्ण सुगम्य वेबसाइटों में परिवर्तित करना।
- ❖ यह निश्चित करना कि मार्च 2018 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी सार्वजनिक दस्तावेजों का कम से कम 50% सुगम्यता मानको को पूरा करते हैं।
- ❖ मार्च 2018 तक 200 अतिरिक्त सांकेतिक भाषा के व्याख्याताओं का परीक्षण एवं विकास।
- ❖ जुलाई 2016 तक राष्ट्रीय मीडिया के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके अनुशीर्षको एवं सांकेतिक भाषा में व्याख्या पर राष्ट्रीय मानकों को विकसित करना एवं अपनाना।
- ❖ यह निश्चित करना कि मार्च 2018 तक सरकारी चैनलों द्वारा जारी सभी सार्वजनिक टेलीविजन कार्यक्रम राष्ट्रीय सुगम्य मानको को पूरा करते हैं।

4) सुगम्य भारत अभियान सुगम्य पुलिस स्टेशनों, सुगम्य अस्पतालों, सुगम्य पर्यटन, सुगम्य डिजिटल भारत आदि बनाने के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों/ मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों से सहयोग की अपेक्षा करता है।

5) मोबाइल पर सुगम्य भारत अभियान में भाग ले

विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग ने अगम्य स्थानों के बारे में अनुरोध की क्राउडसोर्सिंग के वेब पोर्टल के साथ- साथ एक सुगम्य भारत अभियान मोबाइल ऐप बनाया हैl इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो सरकार को किसी अगम्य सार्वजनिक स्थान जैसे-(स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर आदि) के बारे में सूचित करना चाहता है, उसकी तस्वीर या वीडियो लेकर सुगम्य भारत पोर्टल पर अपलोड कर सकता हैl पोर्टल इस इमारत को पूरी तरह से सुगम्य बनाने के लिए सुगम्यता जांच, वित्तीय स्वीकृति, और आवश्यक बदलाव करने के लिए अनुरोध पर कार्यवाही करेगाl मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल सुगम्यता अभियान मैं बड़ी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भागीदारी चाहता है जो सुगम्यता जांच का संचालन करने, इमारतों/ परिवहन और वेबसाइट के सुगम्यता रूपांतरण मैं मदद कर सकेl

3.2.5- चुनौतियां:

3 दिसंबर 2015(अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस) को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा" सुगम्य भारत अभियान" की शुरुआत दिव्यांगों को सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराने हेतु की गई जो समय बद्ध तरीके से क्रियान्वित हो पिंटू जैसा कि पाया गया है कि इस अभियान में राष्ट्र के कुछ नगरों/ शहरों को लक्ष्य बनाया गया जिस में भी सिर्फ सरकारी भवनों/ इमारतों तक ही सुगम्यता को उपलब्ध कराने की बात की गई है वह भी कहीं 25% तो कहीं 50%l

उचित तो तब होता की चिन्हित किए गए शहरों/ नगरों की सभी सार्वजनिक उपयोग के भवनों/ स्थलों को लक्ष्य किया गया होता चाहे सार्वजनिक शौचालय, फैक्ट्रियां, अस्पताल, बस अड्डे, मॉल आदि को सम्मिलित किया जाता और उन्हें पूर्ण सुगम्य मैं रूपांतरित किया जाताl ऐसे में यह होता कि देश के कम से कम 100 नगरों को पूर्ण सुगम्य

बनाया जा चुका है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपेक्षा की थी फिर क्षेत्रों को सुगम्य बनाया जाए किंतु अभी वहां तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ।

ऑडिट रिपोर्ट 2016 ने सुझाव भी दिया कि इन उपेक्षित चित्रों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बहुत अधिक खर्चीला नहीं है।

ऑडिट रिपोर्ट 2016 में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कुछ टर्मिनल को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया है किंतु नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में उनकी राय नकारात्मक रही है और उसे दिव्यांग लोगों के लिए सुगम्य नहीं पाया गया।

13 दिसंबर2019 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने"सुगम्य भारत अभियान" की धीमी प्रगति के कारण इसकी समय सीमा को मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया अर्थात निर्धारित लक्ष्य तक सुगम्यता प्राप्त नहीं हो सकी।

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर विकलांगों के लिए सुविधाओं का राज्यवार विवरण नहीं रखा गया था लेकिन भारतीय रेलवे अपने स्टेशनों को सुगम्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सार्वभौमिक पहुंच के लिए सुगम्य भारत अभियान के शुभारंभ के 2 साल बाद अधिकांश राज्यों ने सरकारी वेबसाइट को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के कार्यक्रम के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगों हेतु अधिकारिता विभाग(DEPWD) को सभी 9000 सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ERNET शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक स्वायत्त समाज) के साथ एक परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित किया है।

इस परियोजना में पहली राज्य सरकारों से परियोजना शुरू करने के लिए सहमति और फिर उन्हें सुलभ बनाने हेतु आमतौर देखी जाने वाली वेबसाइटों की पहचान शामिल हैl पहले चरण में 917 वेबसाइटों की पहचान की गई है जिसमें अब तक मात्र 104 वेबसाइट को सुलभ बनाया जा चुका हैl

यह बेहद दुखद है कि सुगम्य भारत अभियान की समय सीमा फिर से बढ़ा दी गई हैl शुरुआत के बाद यह गोलपोस्ट कई बार बदला गया हैl समय सीमा अनेकों बार आगे बढ़ाई गई हैl ऐसा कहा जाता है कि प्राथमिकता की कमी को देखते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए वह एक सुविचार एक अभियान के रूप में रह गया है क्या?

समय सीमा का विस्तार प्रणाली की उदासीनता को उजागर करती है जो सुगम्य पहुंच के कारण को गंभीरता से नहीं ले रहा हैl जबकि भारत में लाखों दिव्यांग लोग संघर्ष कर रहे हैंl

3.3-शोध प्रश्नों के समाधान

प्रश्न-1. सुगम्य भारत अभियान में किन-किन मुद्दों को शामिल किया गया है?

सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान हैl इसके अंतर्गत सुगम में भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने को मुख्य रूप से शामिल किया गया हैl

प्रश्न-2. सुगम्य भारत अभियान के उद्देश्य क्या थेl इन्हें किस हद तक प्राप्त किया गया है?

सुगम्य भारत अभियान के उद्देश्यः-

1) सुगम्य सरकारी इमारतों का अनुपात बढ़ाना:-

एक सुगम्य सरकारी इमारत वह इमारत है जिसमें विकलांग व्यक्तियों को प्रवेश करने और उनकी सभी सुविधाओं का योग करने में कोई बाधा नहीं हो।

सुगम्यता के मानक यथा आई एस ओ स्थानीय संदर्भ लेते हुए जहां तक संभव हो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए। निर्माण पर्यावरण के संबंध में आई एस ओ- 21542: 2011, भवन निर्माण- पर्यावरण निर्मित पहुंच प्रयोज्यता, निर्माण, संयोजन, उपकरणों और फिटिंग के विषय में आवश्यकता और सिफारिशों की रूपरेखा बनाती है।

2) सुगम्य रेलवे स्टेशनों का अनुपात बढ़ाना:-

एक रेलवे स्टेशन सुगम्य है यदि एक विकलांग व्यक्ति को इस में प्रवेश करने, सभी सुविधाओं का उपयोग करने, सवार होने और उतरने में कोई बाधा नहीं हो।

3) सुगम्य हवाई अड्डा का अनुपात बढ़ाना:-

एक हवाई अड्डा सुगम्य है जहां एक विकलांग व्यक्ति को प्रवेश करने, सभी सुविधाओं का उपयोग करने, हवाई जहाज में सवार होने एवं उतरने में किसी प्रकार की बाधा ना हो।

4) सुगम्य सार्वजनिक परिवहन का अनुपात बढ़ाना:-

सार्वजनिक परिवहन सुगम्य है यदि 1 विकलांग व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक और निजी परिवहन की बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए समान अवसर मिलता है।

संशोधित राष्ट्रीय सरकारी परिवहन नीति(NUTP-2014) के सभी योजना और *कार्यान्वयन के उपायों में सार्वजनिक सुगम्यता भी शामिल है*। भारतीय सड़क कांग्रेश कोड 103: 2012 चलने वालों की सुविधाओं के लिए दिशा निर्देशों, समावेशी सड़कों और सड़क डिजाइन मानकों को प्रदान करता है।

5) सुगम्य उपयोगी सार्वजनिक दस्तावेजों और साइटों का अनुपात बढ़ाना जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानकों को पूरा करें:-

दैनिक जीवन में जानकारी का उपयोग करने के लिए सार्वजनिक दस्तावेजों को सुगम्य प्रारूप में उपलब्ध होना चाहिए। सार्वजनिक दस्तावेजों से तात्पर्य राष्ट्रीय सरकार के द्वारा जारी किए गए सभी दस्तावेजों साथ- ही -साथ सभी उप राष्ट्रीय दस्तावेजों से है। इसमें कानूनों, नियमों, रिपोर्ट, प्रपत्र और सूचना के दस्तावेज आदि सभी प्रकाशन शामिल है।

अभीगम्यता के मानक यह सुनिश्चित करेंगे कि एक निर्दिष्ट वर्ष से आगे प्रकाशित सभी सार्वजनिक दस्तावेज एवं सभी मौजूदा वेबसाइट मानकीकरण के अंतरराष्ट्रीय संगठन(आई एस ओ) आई ई सी 40500: 2012, सूचना प्रौद्योगिकी W3C वेब सामग्री अभीगम्यता दिशा निर्देश (WCAG) 2.0 के अनुकूल रूपांतरण एवं मानकों का पालन करते हैं।

6) सांकेतिक भाषा के व्याख्याताओं के समूह का संवर्धन:-

सांकेतिक भाषा का व्याख्याता वह व्यक्ति है जो आधिकारिक सांकेतिक भाषा के पेशेवर मानकों को पूरा करता है।

समाचार के कार्यक्रम जो सहमत हुए मानकों के अनुरूप दैनिक अनुशीर्षको और संकेत भाषा मैं व्याख्या करते हैं। सार्वजनिक टेलीविजन से तात्पर्य ऐसे कार्यक्रमों से है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित, प्रस्तुत या आर्थिक सहायता प्राप्त हैं।

प्रश्न-3. सुगम्य भारत अभियान के समक्ष आने वाली चुनौतियां क्या है?

चुनौतियां:

3 दिसंबर 2015(अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस) को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा" सुगम्य भारत अभियान" की शुरुआत दिव्यांगों को सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराने हेतु की गई जो समय बद्ध तरीके से क्रियान्वित हो पिंटू जैसा कि पाया गया है कि इस अभियान में राष्ट्र के कुछ नगरों/ शहरों को लक्ष्य बनाया गया जिस में भी सिर्फ सरकारी भवनों/ इमारतों तक ही सुगम्यता को उपलब्ध कराने की बात की गई है वह भी कहीं 25% तो कहीं 50%।

उचित तो तब होता की चिन्हित किए गए शहरों/ नगरों की सभी सार्वजनिक उपयोग के भवनों/ स्थलों को लक्ष्य किया गया होता चाहे सार्वजनिक शौचालय, फैक्ट्रियां, अस्पताल, बस अड्डे, मॉल आदि को सम्मिलित किया जाता और उन्हें पूर्ण सुगम्य मैं रूपांतरित किया जाता। ऐसे में यह होता कि देश के कम से कम 100 नगरों को पूर्ण सुगम्य बनाया जा चुका है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपेक्षा की थी फिर क्षेत्रों को सुगम्य बनाया जाए किंतु अभी वहां तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ।

ऑडिट रिपोर्ट 2016 ने सुझाव भी दिया कि इन उपेक्षित चित्रों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बहुत अधिक खर्चीला नहीं है।

ऑडिट रिपोर्ट 2016 में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कुछ टर्मिनल को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया है किंतु नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में उनकी राय नकारात्मक रही है और उसे दिव्यांग लोगों के लिए सुगम्य नहीं पाया गया।

13 दिसंबर2019 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने"सुगम्य भारत अभियान" की धीमी प्रगति के कारण इसकी समय सीमा को मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया अर्थात निर्धारित लक्ष्य तक सुगम्यता प्राप्त नहीं हो सकी।

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर विकलांगों के लिए सुविधाओं का राज्यवार विवरण नहीं रखा गया था लेकिन भारतीय रेलवे अपने स्टेशनों को सुगम्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सार्वभौमिक पहुंच के लिए सुगम्य भारत अभियान के शुभारंभ के 2 साल बाद भी अधिकांश राज्यों ने सरकारी वेबसाइट को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के कार्यक्रम के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगों हेतु अधिकारिता विभाग(DEPWD) को सभी 9000 सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ERNET (शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक स्वायत्त समाज) के साथ एक परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित किया है।

इस परियोजना में पहली राज्य सरकारों से परियोजना शुरू करने के लिए सहमति और फिर उन्हें सुलभ बनाने हेतु आमतौर देखी जाने वाली वेबसाइटों की पहचान शामिल है। पहले चरण में 917 वेबसाइटों की पहचान की गई है जिसमें अब तक मात्र 104 वेबसाइट को सुलभ बनाया जा चुका है।

यह बेहद दुखद है कि सुगम्य भारत अभियान की समय सीमा फिर से बढ़ा दी गई है। शुरुआत के बाद यह गोलपोस्ट कई बार बदला गया है। समय सीमा अनेकों बार आगे बढ़ाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि प्राथमिकता की कमी को देखते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए वह एक सुविचार एक अभियान के रूप में रह गया है क्या?

समय सीमा का विस्तार प्रणाली की उदासीनता को उजागर करती है जो सुगम्य पहुंच के कारण को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जबकि भारत में लाखों दिव्यांग लोग संघर्ष कर रहे हैं।